न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी,रावतभाटा जिला– चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – डॉ. कृति व्यास (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –27 / 2023

अनवान

बटूल पिता गौरू बंजारा, जाति बंजारा, आयु 25 साल, पेशा काश्त, निवासी खाखरा का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

1. दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल बंजारा, जाति बंजारा, आयु 60 साल, निवासी खाखरा का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. बन्ना बाई पत्नी रमेश चन्द्र बंजारा, जाति बंजारा, उम्र बालिग, निवासी खाखरा का खेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

अप्रार्थीगण / विपक्षी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव अभिभाषक वादी।
प्रतिवादी संख्या 01 आजाद हुसैन व 02 एकतरफा कार्यवाही।
प्रतिवादी संख्या 03 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक 12.11.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खाते की जमीन मौजा ग्राम मुआदा प0ह0 कुआखेड़ा, तहसील रावतभाटा, राजस्थान की जमाबन्दी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 33 में खसरा संख्या 339, रकबा 2. 1600 है0 किस्म नहरी लगानी 32.40 रूपये खाता में वादी के 4 / 5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 के 1 / 5 हिस्सा में खातेदारी रिकॉर्ड से दर्ज है वादी बटूल द्वारा अपने हिस्से की नई जमाबन्दी अनुसार अपने खाते की 8 / 10 हिस्से में से 1 / 10 हिस्सा बन्ना बाई पत्नी रमेशचन्द्र बंजारा निवासी खाखरा का खेड़ा को एक वर्ष पूर्व बेचान कर दी गई थी उसके बाद तीनो खातेदार अपने अपने हिस्से मुताबिक आपसी बंटवाडे से मौके पर काबिज होकर अपने–अपने हिस्से की आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजी का अभी राजस्व रिकॉर्ड में बंटवाडा नहीं हुआ है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर कोई अधिक कोई कम हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा नक्शे में भी बंटवाड़े की तरमीम नहीं है जिससे आये दिन हंकाई जुताई के समय सीमा को लेकर विवाद होता रहता है जिससे हमारे मध्य अकारण ही मन मुटाव रहता है इसलिए हमारे उपरोक्त खाते का राजस्व रिकॉर्ड में हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवाड़ा अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जाना व इस अनुरूप मौके पर कब्जा दिलाया जाना न्यायोचित है तथा इसी अनुसार खातेदारी की घोषणा वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के मध्य किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः ग्राम मुआदा पटवार हल्का कुआखेड़ा तहसील रावतभाटा की खाता संख्या 33 खसरा संख्या 339 रकबा 2.1600 हैक्टेयर खाते में दर्ज अनुसार वादी का 4 / 5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1 / 5 व प्रतिवादी संख्या 02 का नई जमाबन्दी अनुसार 1 / 10 हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी का बंटवाड़ा किय जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम कर अलग से खातेदारी की घोषणा करते हुए इसी अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने की घोषणा एवं बंटवाड़ा किये जाने का आदेश प्रदान कर तदनुसार डिक्री जारी फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रति[illegible] को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री आजाद हुसै[illegible] द्वारा [illegible]कालतनामा प्रस्तुत कर जवाब पेश नहीं कर दावे अनुरूप बंटवारा करने [illegible] कोई आपत्ति [illegible] नहीं की तथा प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। प्र[illegible] न्यायालय में अनुपस्थि[illegible] से इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। [illegible]वादीगण संख्या 03 [illegible]र सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित हो किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं कर वाद पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा इकबाले जवाब देने व 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kraji Vyas
Date: 2025.12.18 16:24.07 IST
Reason: Self Attested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी संख्या 03 द्वारा वाद पत्र के खण्डन नही करने से से वादपत्र 05.11.2024 को स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के मध्य ग्राम मुआदा प0ह0 कुआखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 33 में खसरा संख्या 339, रकबा 2.1600 है0 भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 का उपरोक्त हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का प्राथमिक डिक्री किया जाकर कमिश्नर से मौके के विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। कमिश्नर ने दिनांक 24.12.2024 को मौके के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये। प्राप्त प्रस्ताव पर उभयपक्ष की बहस सुनी प्राप्त प्रस्ताव से वकील उभय पक्ष द्वारा सहमति व्यक्त की गई हैं, प्राप्त प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री अनुरूप होने से वादी का वाद पत्र हस्ब विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम मुआदा प0ह0 कुआखेड़ा तहसील रावतभाटा की जमाबंदी संवत् 2076–79 की खाता संख्या 33 में खसरा संख्या 339, रकबा 2.1600 है0 भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता हैः–

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रविष्टियाँ

क्र. सं.	नाम खातेदार व विवरण	आराजी संख्या	रकबा	लगान
1. 2. 3.	श्री दुर्गालाल पिता मांगीलाल जाति बंजारा हिस्सा 1/5 सा. खाखरा का खेडा खातेदार। श्री बटूल पुत्र गौरू हिस्सा 7/10 जाति बंजारा सा. खाखरा का खेडा खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता बैंक ऑफ बडौदा शाखा जावदा। श्रीमती बन्ना बाई पत्नि रमेश चन्द हिस्सा 1/10 जाति बंजारा सा. खाखरा का खेडा।	339	2.16	32.40
	योग	किता–1	2.16है0	32.40

प्रस्तावित बंटवाडा अनुसार प्रविष्टियाँ				
क्र. सं.	खातेदारों के नाम व विवरण	आराजी संख्या	रकबा (है0)	लगान
1.	श्री दुर्गालाल पिता मांगीलाल जाति बंजारा सा. खाखरा का खेडा खातेदार।	339/1	0.4300	6.45
	योग	किता–1	0.43	6.45
2.	श्री बटूल पुत्र गौरू जाति बंजारा सा. खाखरा का खेडा खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण खाता बैंक ऑफ बडौदा शाखा जावदा।	339/3	1.51	22.65
	योग	किता 01	1.51	22.65
3.	श्रीमती बन्ना बाई पत्नि रमेश चन्द जाति बंजारा सा. खाखरा का खेडा।	339/2	0.22	3.30
	योग	किता–1	0.22	3.30

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार अमल दरामद किया जावे। निर्णय आज दिनांक 12.11.2025 को सुनाया गया। निर्णय अनुसार डिक्री जारी की जावे। नजरी नक्शा डिक्री का पार्ट रहेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. कृति व्यास)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.18 16:24:07 IST
Reason: SelfAttested